



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **10-08-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1-अवैध 55 देसी शराब के पच्चे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, थाना बिलारी:-

अवगत कराना है कि दिनांक 09.08.2025 की रात्रि को उ0नि0 श्री राहुल थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी गण 1. विनय पुत्र महेंद्र 2. शैलेश पुत्र रोहतास निवासीगढ़ ग्राम ग्वारऊ थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को अवैध 55 देसी शराब के पच्चे (इंडियन टाइगर मार्का) सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-357/2025 धारा-60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।



गिरफ्तार आरोपीगण:-

- 1.विनय पुत्र महेंद्र
2. शैलेश पुत्र रोहतास निवासीगढ़ ग्राम ग्वारऊ थाना बिलारी, मुरादाबाद।

बरामदगी:-

अवैध 55 देसी शराब के पच्चे (इंडियन टाइगर मार्का)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना बिलारी मुरादाबाद
हे0का0 सोमवीर सिंह थाना बिलारी मुरादाबाद
हे0का0 राहुल कुमार थाना बिलारी मुरादाबाद।

2- थाना सिविल लाईन्स क्षेत्रान्तर्गत 01 महिला से चैन स्नैचिंग की घटना कारित करने में संलिप्त अभियुक्त को थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर, अभियुक्त के कब्जे से 01 चैन का टुकड़ा (पीली धातु) व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल बजाज प्लैटिना तथा 7000/- रुपये नकद व 01 मोबाइल ओपो कम्पनी बरामद किये गये।

अवगत कराना है कि दिनांक 08-08-2025 को वादिनी निवासनी थाना सिविल लाईन्स क्षेत्रान्तर्गत ने अज्ञात 01 बाईक सवार आरोपी द्वारा दिनांक 06.08.2025 को रास्ते में जाते समय वादिनी के गले में पड़ी सोने की चैन में झपट्टा मारकर छीन ले जाने के संबंध में थाना सिविल लाईन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0-589/2025 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने, अपराधों में संलिप्त व मुकदमा उपरोक्त में संलिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु, पुलिस अधीक्षक नगर, मुरादाबाद के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाईन्स के मार्गदर्शन में मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन सीसीटीवी चेक, गहनता से छानबीन आदि के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त विनोद सैनी पुत्र भोजराम सैनी निवासी अबवक्करपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया। उक्त क्रम में दिनांक 09/10-08-2025 की रात्रि थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त विनोद सैनी पुत्र भोजराम सैनी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदाही पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित महिला से छीनी गयी चैन का टुकड़ा (पीली धातु) व 7,000/- रुपये नकद तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल बजाज प्लैटिना रजिस्ट्रेशन नम्बर UP21CQ-5344 तथा व 01 मोबाइल ओपो कम्पनी बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 589/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- विनोद सैनी पुत्र भोजराम सैनी निवासी अबवक्करपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पुलिस पूछताछ पर बताया कि मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। दिनांक 06.08.2025 को जब मैं काम से अपनी मोटर साईकिल से वापस अपने घर लौट रहा था तो मैंने अटल पार्क आशियाना के पास रास्ते में एक महिला को अकेले जाते हुए देखा जिसके गले में सोने की चैन थी, मेरे मन में लालच आ गया और मौका देखकर उस महिला के गले पर झपट्टा मारकर चैन छीन ली थी और मैं वहाँ से अपनी मोटर साईकिल प्लैटिना से भाग गया था इसके बाद उस चैन का एक टुकड़ा मैंने राह चलते हुए व्यक्ति को अपनी मजबूरी बताकर दस हजार रुपये (10000/- रुपये) में बेच दिया था। जिसमें से कुछ रुपये मैंने खर्च कर दिये बाकी के उन्ही रूपयों में से शेष 7000/- रुपये और बचा हुआ चैन का टुकड़ा जो आपने मुझसे बरामद कर लिये है। मैंने लालच में आकर यह घटना की थी।

बरामदगी का विवरण-

- 1- एक टूटी हुई चैन का टुकड़ा (पीली धातु)
- 2- कुल 7000/- रुपये नकद
- 3- एक मोबाइल ओपो कम्पनी
- 4- घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल बजाज प्लैटिना रजिस्ट्रेशन नम्बर UP21CQ-5344

नोट:- अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष सक्सेना थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।
- 2- उ0नि0 विनीत कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।
- 3- उ0नि0 अनुज कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।
- 4- हे0कां0 अंकुल कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

- 5- हे0कां0 राजीव थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।
6- कां0 टिंकू कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।
7- कां0 कुलदीप कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।
8- कां0 आलिम जावेद थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

3- एक राय होकर घर में घुसकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली-गलौच, मारपीट व जान से मारने की नियत से फायरिंग करने व धमकी देने वाले वांछित 02 अभियुक्तों को थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर, अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये ।

अवगत कराना है कि दिनांक 09.08.2025 को वादी श्री राजेंद्र (बाल्मिकी) पुत्र श्री राजपाल निवासी झांझनपुर थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ने आरोपीगण द्वारा आपसी रंजिशन एक राय होकर वादी के घर में घुसकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली-गलौच, मारपीट व जान से मारने की नियत से फायरिंग करने व धमकी देने के संबंध में थाना सिविल लाईन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0- 599/2025 धारा- 191(2)/191(3)/333/109 /115(2)/352 /351(2) बीएनएस व 3(2)5, 3(1)द, 3(1) ध एससी/एसटी एक्ट बनाम मयंक गुर्जर आदि के पंजीकृत किया गया ।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने, अपराधों में संलिप्त व मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु, पुलिस अधीक्षक नगर, मुरादाबाद के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाईन्स के मार्गदर्शन में मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 10.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में नामित/वांछित 02 अभियुक्तों 1- मयंक गुर्जर पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी निकट प्राइवेट बसेरा हिमगिरी कालोनी हरथला थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद, 2- दीपक सागर उर्फ विहान पुत्र रामकिशोर निवासी हरथला थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त मयंक गुर्जर की निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त अवैध 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस, व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों:-

- 1- मयंक गुर्जर पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी निकट हिमगिरी कालोनी हरथला थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
2- दीपक सागर उर्फ विहान पुत्र रामकिशोर निवासी हरथला थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

विवरण पूछताछ:-

पुलिस द्वारा पूछताछ पर अभियुक्त मयंक गुर्जर उपरोक्त ने बताया कि मेरी व अंकित यदुवंशी की अपने वर्चस्व को लेकर राजेन्द्र से कहासुनी हो गयी थी, राजेन्द्र अपने आप में बहुत ज्यादा ही बनता है । इसी रंजिशन हम लोगो ने एक राय होकर उसके घर में घुसकर मारपीट की थी, और मैंने तमंचे से फायरिंग की थी जो तमंचा आपने मुझसे बरामद कर लिया है, लोगो में अपना वर्चस्व बनाने के लिए हम लोग अवैध तमंचा रखते हैं ।

बरामदगी का विवरण:-

1- घटना में प्रयुक्त अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास:-

1- अभियुक्त मयंक गुर्जर उपरोक्त:-

1- मु0अ0स0- 599/2025 धारा- 191(2)/191(3)/333/109/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 3(2)5, 3(1)द, 3(1) ध एससी/एसटी एक्ट व 3/25 आयुध अधि0 थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

2- मु0अ0स0- 182/2021 धारा- 147, 148, 149, 323, 324, 504, 506 बीएनएस व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद ।

2- अभियुक्त दीपक सागर उपरोक्त:-

1- मु0अ0स0- 599/2025 धारा- 191(2)/191(3)/333/109/115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

2- मु0अ0स0- 409/2025 धारा- 115(2), 126(2), 351(2), 352 बीएनएस थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

3- मु0अ0स0- 1050/2020 धारा- 279, 392, 411 आईपीसी थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

4- मु0अ0स0- 799/2020 धारा- 188/269 आईपीसी थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

नोट:- अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष सकसैना थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

2- उ0नि0 राजीव कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

3- उ0नि0 अनुज कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

4- हे0कां0 अंकुल कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

5- कां0 टिन्कू कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

6- कां0 कुलदीप कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

7- कां0 शुभम काम्बोज थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

8- कां0 अंकित कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

4- जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 08 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

थाना कांठ - 02, थाना मूढापाण्डे-02, थाना सोनकपुर-02, थाना गलशहीद-01, थाना बिलारी-01